न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../12

(36)

R-183-III/2012

1. रामाधार काछी तनय स्व0 श्री मल्ला काछी उम्र 70 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
2. रामाश्रय काछी तनय श्री रामाधार काछी, उम्र 42 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
3. लल्ली काछी तनय श्री रामाधार काछी, उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
4. राजभान काछी तनय श्री रामाधार काछी, उम्र 30 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)

.............निगरानीकर्तागण

मुकेश माथुर एड0 द्वारा आज दि. 30-1-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती सुखरनिया पत्नी रामावतार काछी, उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
2. राजकुमार काछी तनय रामावतार काछी, उम्र 33 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म0प्र0)
3. श्रीमती बूटी पुत्री रामावतार काछी पत्नी नत्थूलाल काछी उम्र 30 वर्ष, पेशा गृह कार्य, निवासी ग्राम संतनगर कुशवाहा कालोनी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)
4. रामकिंकर काछी तनय श्री मल्ला काछी, उम्र 50 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0) हाल मुकाम नई बस्ती बोदाबाग, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
5. श्रीमती सुखरनिया पुत्री श्री मल्ला काछी, उम्र 40 वर्ष, पेशा घरू कार्य, निवासी आनन्द नगर नई बस्ती बोदाबाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
6. तुलसीदास तनय स्व0 रामावतीार काछी उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)
7. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सतना, जिला सतना (म0प्र0

................गैरनिगरानीकर्तागण

मुकेश माथुर
30-1-12 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, जिला सतना (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 78/निग./2010–11 पारित आदेश दिनांक 05–01–2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

–:निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

निगरानी प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्तागण क्रमांक 1 ता 4 ने न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में म0प्र0भू0रा0 संहिता की धारा 178 एवं 109, 110 के अंतर्गत बंटवारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र मुताबिक व्यवहार वाद अपील क्रमांक 43/10 निर्णय दिनांक 29–11–2010 के आधार पर प्रस्तुत किया गया उक्त प्रकरण दिनांक 29–12–2010 को अनावेदकगण की तलवी हेतु नियत था। निगरानीकर्तागण 1, 2 एवं 4 दिनांक 20–12–2010 को उपस्थित हो चुके थे, शेष गैरनिगरानीकर्तागण अनावेदक क्रमांक 5 एवं 6 की तलवी हेतु पेशी दिनांक 29–12–2010 नियत थी। निगरानीकर्तागण दिनांक 20–12–2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि प्रकरण में व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अनुसार न्यायशुल्क गैरनिगरानीकर्तागण क्रमांक 1 ता 4 द्वारा पटाई गई है या नहीं क्योंकि डिक्री के अनुसार आदेशित न्यायशुल्क पटाने के बाद ही उक्त डिक्री प्रभावी होगी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण को बिना न्यायशुल्क अदा किये ही पूर्व में ही प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया था तथा हल्का पटवारी से बंटवारा पुल्ली तैयार करा कर प्रकरण में संलग्न करा ली गई तथा प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 5 व 6 की तलवी किये बिना तथा निगरानीकर्तागण के बिना कोई जवाब लिये प्रकरण में ऐसी कार्यवाही की गई जो म0प्र0भू0 राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों का पालन किये बिना की जा रही कार्यवाही विधि सम्मत नहीं थी जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29–12–2010 अवैधानिक थी जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी प्रकरण विचाराधीन था, प्रकरण के विचाराधीन रहते निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 86/2011 माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–01–2011

XXIX(a)-BR(H)-11

(64)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-183-तीन/12 जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2011 में पारित आदेश दिनांक 5-1-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	